न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS

राजस्व अपील सं0 38/2025 (GCMS 2025/55)

अपीलांटगण

1. हनीफ पुत्र नूरमोहम्द जाति मुसलमान निवासी गोरसर तहसील व जिला चुरू।
2. मोहम्मद बिलाल पुत्र हाजी मोलाबक्स जाति मुसलमान निवासी चुरू जिला चुरू।
3. मोहम्मद मुजाहिद कुरेशी पुत्र अब्दुल जबार कुरेशी जाति मुसलमान निवासी रामगढ़ शेखावटी सीकर जिला सीकर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण।
2. किरतसिंह पुत्र पर्बतसिंह जाति राजपूत निवासी सनावड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
3. श्रीमती ढेलकंवर पत्नी स्व. पर्बतसिंह जाति राजपूत निवासी सनावड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
4. प्रमोद कुमार पुत्र साधूराम शर्मा निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझनु।
5. श्रीमती गंगादेवी पत्नी छोगाराम जाति विश्नोई पालाणी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अधिवक्ता :

1. श्री ए. आर. मेहर, अधिवक्ता अपीलांटगण
2. ना. तहसीलदार (पैरोकार राज)

—::निर्णय::—

दिनांकः 09.06.2026

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2012 अनवान श्रीमती ढेल कंवर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत चौक वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2014

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सनावड़ा पटवार हल्का चौक तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में स्व. पर्वतसिंह पुत्र गोरधनसिंह का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 386 रकबा 265 बीघा 01 बिस्वा आया हुआ था जो वक्त पेमाईश स्वर्गीय पर्वतसिंह के नाम दर्ज हुआ था, बाद इसके पर्वतसिंह के फौत होने पर उतरदाता सख्या 2 किरतसिंह के नाम जरिये नामान्तकरण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ ओर मौका पर भौतिक कब्जा उतरदाता संख्या 2 का ही था तथा उतरदाता संख्या दो ने भौतिक कब्जा व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के आधार पर खसरा नम्बर 386 रकबा 265 बीघा 01 बिस्वा में से रकबा 50 बीघा भूमि का बैचान दिनांक 09.04.1990 को उतरदाता संख्या 04 प्रमोद कुमार को कर दिया तथा मौका पर भौतिक कब्जा दे दिया और उत्तरदाता संख्या 04 काबिज हो गया तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका था तत्पश्चात काफी साल काबिज रहने के बाद दिनांक 22.01.2013 को उक्त रकबा 50 बीघा उत्तरदाता संख्या 05 को बैचान कर दिया तथा मौका पर भौतिक कब्जा उरतदाता संख्या 04 ने उतरदाता संख्या 05 को दे दिया जिसका भी अमलदरामद उतरदाता संख्या 05 को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हो गया और मौका पर काबिज रहे उसके बाद उतरदाता संख्या 05 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 386/899 रकबा 50 बीघा का बैचान दिनांक 01.07.2013 को अपीलकर्तागण को कर मौके पर भौतिक कब्जा दे दिया। जिनके नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 2001 से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो गया और मौके पर आज भी अपीलकर्तागण काबिज है और काश्त करते आ रहे है। स्वर्गीय पर्वतसिंह की खातेदारी की काफी भूमि थी जो उतरदाता संख्या 02 के नाम नामाकिंत हो गई।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 38 / 2025 (GCMS 2025 / 55)

उतरदाता संख्या 02 द्वारा इस खसरा नम्बर 386 व अन्य खसरो की काफी भूमि अलग–अलग बैचानो के जरिऐ बैचान कर दी तथा बैचानो के आधार पर अलग–अलग काश्तकार काबिज हो गये। तत्पश्चात इस अपीलाधीन आदेश की प्रार्थीनी व उतरदाता संख्या 02 ने दुरभिसंधि कर एक राजस्व अपील प्रार्थीनी को स्वर्गीय पर्वतसिंह की पत्नि वारिस बता कर जो नामान्तरकरण संख्या 82, 87 व 88 जो पर्वतसिंह के फौत होने पर उत्तरदाता संख्या 02 के नाम भरे गये थे को खारिज करवाने की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पोकरण मे पेश करवाकर और खुद उत्तरदाता संख्या 02 ने अपनी सहमति देकर स्वीकार करवा दी तथा उपखण्ड अधिकारी पोकरण ने अपील स्वीकार कर उक्त तीनों नामान्तरकरण खारिज कर तहसीलदार पोकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की स्व. पर्वतसिंह के वारीसान की जांच कर नामान्तकरण निस्तारण करे जिस पर तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02 / 2012 दर्ज कर बिना किसी जांच प्रार्थीनी को स्व. पर्वतसिंह की वारिस मान कर नामान्तरकरण संख्या 82, 87 व 88 को निल एण्ड वाईड शुन्य माना एवं उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा किये गये बैचानो का उत्तरदाता संख्या 02 के हिस्सो तक नाम इन्द्राज नियमानुसार सक्षम न्यायालय से कराने की छूट देकर निर्णय पारित कर दिया। उत्तरदाता संख्या 02 द्वारा किये गये बैचानो का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में हो चुका था, बिना रेकर्डेड खातेदारो को सुने आदेश पारित कर दिया जो आदेश निम्न आधरो पर काबिल निरस्त करने के है और अपील काबिल स्वीकार करने के है। तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02 / 2012 अनवान प्रार्थीनी श्रीमती ढेलकंवर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत चौक वगैरा में नामान्तरकरण संख्या 82, 87 व 88 मौजा सनावड़ा पर आदेश दिनांक 22.04.2014 देने में कानूनी व वाकयाती बड़ी भारी भूल की है जो आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलकर्तागण जो खसरा नम्बर 386 / 899 रकबा 50 बीघा के खातेदार थे, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना तथा अपीलकर्तागण को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये एकतरफा आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त करने के है। अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2014 व उनवान ढेल कंवर बनाम ग्राम पंचायत चोक प्रकरण संख्या 2 / 12 में अपीलार्थीगण बतौर पक्षकार के रूप संयोजित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश कि जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी जब उत्तरदाता संख्या 2 व 3 ने दस माह पूर्व अपीलाधीन आदेश कि आड़ में अपीलार्थी संख्या 3 के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी की तब अपीलार्थी संख्या 3 मोहम्मद मुजाहिद कुरैशी द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने के बाद अपील अंदर म्याद पेश है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझाकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कर अपील अन्दर म्याद सुमार किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 05 द्वारा सम्यक् तामीली के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों और आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार पोकरण द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02 / 2012 अनवान प्रार्थीनी श्रीमती ढेलकंवर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत चौक वगैरा में नामान्तरकरण संख्या 82, 87 व 88 मौजा सनावड़ा पर आदेश दिनांक 22.04.2014 देने में कानूनी व वाकयाती बड़ी भारी भूल की है जो आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलकर्तागण जो खसरा नम्बर 386 / 899 रकबा 50 बीघा के खातेदार थे, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना तथा अपीलकर्तागण को बिना पक्षकार बनाये, बिना नोटिस दिये एकतरफा आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी अनुपमा जोरवाल IAS
राजस्व अपील सं0 38/2025 (GCMS 2025/55)

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये जाने एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाया गया है। न्यायालय निष्कर्ष में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय अपास्त किया जाना न्यायोचित है। **अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, पोकरण द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 02/2012 अनवान श्रीमती ढेलकंवर बनाम सरपंच ग्राम पंचायत चौक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2014 को अपास्त किया जाता है।** प्रकरण तहसीलदार, पोकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित **(Remand)** कर निर्देश दिये जाते है कि समस्त प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी कर, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जावें तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं प्रचलित नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश द्वारा प्रकरण में किसी पक्ष के स्वामित्व, खातेदारी अथवा कब्जे के अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अंतिम निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर (राज.)